

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 675 / 2015
संस्थापित दिनांक 11 / 09 / 2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. पंकज शर्मा उर्फ मिर्ची शर्मा पुत्र जयनारायण
शर्मा उम्र 21 वर्ष निवासी बडा बाजार वार्ड
नं010 गोहद

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा-457, 380 भा0द0सं0)
(राज्य द्वारा एडीपीओ-श्री प्रवीण सिकरवार।)
(आरोपी द्वारा अधिवक्ता-श्री हृदेश शुक्ला।)

::- निर्णय -::

(आज दिनांक 30.08.2017 को घोषित)

आरोपी पर दिनांक 11-12.07.15 की दरम्यानी रात्रि वार्ड क010 बडा बाजार गोहद में फरियादी राजेन्द्र सिंह कुशवाह के निवास गृह में सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित करने एवं उसी समय फरियादी राजेन्द्र सिंह कुशवाह के निवास गृह से उसकी सोनाटा घड़ी, 800-रूपये नगद, वोटर कार्ड, आधार कार्ड आदि कुल कीमत 10000/-रूपये उसकी सहमति के बिना उसके आधिपत्य से बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित करने हेतु भा0द0सं0 की धारा 457 एवं 380 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 11-12.07.15 की दरम्यानी रात्रि फरियादी राजेन्द्र सिंह कुशवाह का पूरा परिवार खाना खाने के बाद सो रहा था। दिनांक 12.07.15 की रात्रि लगभग दो बजे उसे छत पर किसी के चलने की पैरों की आहट मिली थी तो उसने छत पर जाकर देखा था तो उसके पड़ोस का पंकज शर्मा उर्फ मिर्ची भागते हुए दिखा था उसके बाद उसने घर के अंदर आकर

देखा था तो उसके परिवार के सभी लोग जाग गए थे। उसकी पुत्रवधू रजनी के कपड़ों में रखे नगद आठ सौ रुपये, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, नगरपालिका के कुछ जरूरी कागजाद, उसके भाई रामस्वरूप का नोकिया का मोबाइल सेट, उसका मोबाइल सेट 550 रुपये नगद, सोनाटा घड़ी, उसके बच्चे राजेश का इंटेक्स का मोबाइल सेट नहीं था। उक्त सामान आरोपी पंकज शर्मा छत से कमरे के अंदर आकर चोरी करके ले गया था। चोरी गए सामान की कीमत दस हजार रुपये होगी। फरियादी द्वारा घटना के संबंध में पुलिस थाना गोहद में रिपोर्ट की गई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना गोहद में अपराध क्रमांक 215/15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे आरोपी को गिरफ्तार किया गया आरोपी से जप्ती की गई एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. द0प्र0सं0 की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं :-

1. क्या घटना दिनांक 11-12/07/15 की दरम्यानी रात्रि वार्ड क0 10 बड़ा बाजार गोहद में फरियादी राजेन्द्र सिंह कुशवाह के निवास गृह में फरियादी राजेन्द्र सिंह कुशवाह के आधिपत्य से उसकी सोनाटा घड़ी, मोबाइल, आठ सौ रुपये नगद, वोटर कार्ड, आधार कार्ड आदि की चोरी हुई?

2. क्या उक्त चोरी आरोपी और केवल आरोपी द्वारा ही कारित की गई?

3. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी राजेन्द्र सिंह कुशवाह के निवास गृह में सूर्यास्त के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर

से फरियादी राजेन्द्र सिंह कुशवाह आ0सा01, आरक्षक संजय पाण्डेय आ0सा02, आरक्षक अरविन्द्र तिवारी आ0सा03, राजेश कुशवाह आ0सा04, रामस्वरूप आ0सा05, प्रधान आरक्षक महेश ढाकरे आ0सा06, आरक्षक नरेश पॉल आ0सा0 7, रजनी आ0सा0 8, दिनेश कुशवाह आ0सा0 9, गंगाराम आ0सा0 10 एवं आरक्षक सुरेन्द्र उपाध्याय आ0सा011 को परीक्षित कराया गया है, जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी राजेन्द्र सिंह कुशवाह आ0सा0 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 12.07.15 की रात्रि दो बजे की है। वह लोग खा पीकर सो गए थे। रात्रि दो बजे उसे छत पर चलने की आवाज सुनाई दी थी तो वह जाग कर छत पर गया था तो छत के उपर आरोपी पंकज अपने मकान की तरफ भागते दिखा था फिर उसने घर के अंदर आकर देखा था तो उसका नोकिया मोबाइल, साढ़े पांच सौ रुपये नगद, सोनाटा घड़ी, उसके छोटे पुत्र का इंटेक्स मोबाइल उसके भाई रामस्वरूप का नोकिया मोबाइल नहीं मिला था उसकी पुत्रवधू रजनी का पर्स गायब था एवं रजनी के पर्स में रखे आठ सौ रुपये, वोटर कार्ड, आधार कार्ड नहीं मिले थे उक्त सारा सामान पंकज शर्मा चुराकर ले गया था उसने घटना की रिपोर्ट थाना गोहद में की थी जो प्र0पी01 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 2 ने उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपी को घर में घुसते एवं चोरी करते हुए नहीं देखा था।

8. साक्षी राजेश कुशवाह आ0सा04 रामस्वरूप आ0सा05 एवं रजनी आ0सा08 ने भी फरियादी राजेन्द्र सिंह कुशवाह आ0सा01 के कथन का समर्थन किया है एवं घटना दिनांक को उनके घर से नगद रुपये, वोटर कार्ड, आधार कार्ड एवं मोबाइल चोरी होने बावत प्रकटीकरण किया है। उक्त सभी साक्षियों का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा प्र्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षियों के कथन में घटना दिनांक को उनके घर से चोरी होने के बिंदु पर अखण्डनीय रहा है।

9. इस प्रकार फरियादी राजेन्द्र सिंह कुशवाह आ0सा01 ने अपने कथन में घटना दिनांक को उसके घर से नोकिया मोबाइल, आठ सौ रुपये नगद, इंटेक्स मोबाइल, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, सोनाटा घड़ी इत्यादि चोरी होना बताया है। साक्षी राजेश कुशवाह आ0सा04 रामस्वरूप

अ0सा05 रजनी अ0सा08 ने भी उक्त बिंदु पर फरियादी राजेन्द्र सिंह कुशवाह अ0सा01 के कथन का समर्थन किया है एवं घटना दिनांक को उनके घर से नगद रुपये मोबाइल, घड़ी, वोटर कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि चोरी होने बावत प्रकटीकरण किया है उक्त सभी साक्षियों का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पूर्ण प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षियों के कथन फरियादी राजेन्द्र सिंह कुशवाह के निवास गृह से चोरी होने के बिंदु पर अखण्डनीय रहा है। आरोपी की ओर से उक्त तथ्यों के खंडन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी फरियादी राजेन्द्र सिंह कुशवाह के निवास गृह से मोबाइल, घड़ी, वोटरकार्ड, आधार कार्ड इत्यादि चोरी होने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरियादी राजेन्द्र सिंह कुशवाह अ0सा01 का कथन प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी पुष्ट रहा है। आरोपी की ओर से उक्त तथ्यों के खंडन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त बिंदु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को फरियादी राजेन्द्र कुशवाह के निवास गृह से उसके आधिपत्य से मोबाइल, घड़ी, नगद रुपये, वोटर कार्ड, आधारकार्ड इत्यादि की चोरी हुई थी।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2, एवं 3

10. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

11. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी राजेन्द्र सिंह कुशवाह अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 12.07.15 की रात्रि दो बजे की है। घटना दिनांक को वह खाना खाने के बाद सो गए थे। रात्रि लगभग दो बजे छत पर चलने की आवाज आई थी तो वह जागकर छत पर गया था। छत के उपर आरोपी पंकज शर्मा अपने मकान की तरफ भागता हुआ दिखा था जब वह घर के अंदर आया था तो उसका पूरा परिवार जाग चुका था उसने देखा था तो उसे घर में रखे नोकिया मोबाइल, साढ़े पांच सौ रुपये नगद, सोनाटा घड़ी, इंटेक्स मोबाइल, उसके भाई रामस्वरूप का नोकिया मोबाइल नहीं मिला था उसकी पुत्रवधू रजनी का भी पर्स गायब था उसकी पुत्रवधू के पर्स में आठ सौ रुपये नगद, वोटरकार्ड, आधार कार्ड एवं नगरपालिका के कुछ आवश्यक कागजाद थे जिन्हें पंकज शर्मा चुराकर ले गया था प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 2 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपी को घर में घुसते एवं चोरी करते हुए नहीं देखा था। घर के जीने का गेट खुला था। उसकी पुत्रवधू जिस कमरे में सो रही थी उसका भी दरवाजा खुला था। वह दो बजे गया था तो छत पर चलने की आवाज आई थी। वह छत पर तुरंत

ही पहुंच गया था उसने भागते हुए आरोपी को देख लिया था तब तक सब जाग गए थे। फिर वह चोर-चोर चिल्लाया था। वह दिनांक 13.07.15 को सुबह नौ बजे रिपोर्ट करने गया था।

12. साक्षी राजेश कुशवाह अ0सा04 रामस्वरूप अ0सा05 एवं रजनी अ0सा08 ने भी फरियादी राजेन्द्र सिंह कुशवाह अ0सा01 के कथन का समर्थन किया है एवं घटना दिनांक को आरोपी पंकज शर्मा द्वारा फरियादी राजेन्द्र सिंह कुशवाह के निवासगृह से चोरी करने बावत् प्रकटीकरण किया है।

13. प्रधान आरक्षक महेश ढाकरे अ0सा06 जो कि जप्तीकर्ता है ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने विवेचना के दौरान दिनांक 14.08.15 को आरोपी पंकज को पुराने थाने के सामने खंडहर से गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचानामा प्र0पी03 बनाया था एवं आरोपी पंकज से चोरी के संबंध में पूछताछ कर मेमोरेण्डम प्र0पी04 उसके द्वारा बनाया गया था। जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 17.08.15 को उसने आरोपी पंकज से पुनः चोरी के बारे में पूछताछ की थी पूछताछ के दौरान आरोपी ने आधार कार्ड, वोटर कार्ड अपने मकान के सामने खंडहर में छुपा देना बताया था एवं घड़ी बंधा में फेंक देना बताया था और 1350 रुपये खर्च कर देना बताया था। आरोपी से चोरी के संबंध में पूछताछ कर धारा 27 साक्ष्य विधान का मेमोरेण्डम प्र0पी06 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक 17.08.15 को ही उसने आरोपी के बताए अनुसार आरोपी के घर के सामने खंडहर से वोटर कार्ड, आधार कार्ड जप्त कर जप्ती पंचानामा प्र0पी08 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 10 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उसने पंकज के घर का कोई नक्शा नहीं बनाया था एवं बचाव पक्ष अधिवक्ता के इस सुझाव से भी इंकार कि है कि आरोपी ने उसे प्र0पी06 एवं प्र0पी04 की जानकारी नहीं दी थी।

14. साक्षी संजय पाण्डेय अ0सा02 एवं अरविन्द्र तिवादी अ0सा03 ने जप्ती कर्ता महेश ढाकरे अ0सा06 के कथन का समर्थन किया है एवं दिनांक 14.08.15 को उनके सामने दीवान जी द्वारा आरोपी पंकज से पूछताछ कर मेमोरेण्डम प्र0पी04 तैयार किए जाने बावत् प्रकटीकरण किया है। आरक्षक संजय पाण्डेय अ0सा02 ने गिरफ्तारी पंचानामा प्र0पी03 एवं मेमोरेण्डम प्र0पी04 के क्रमशः ए से ए भाग पर एवं अरविन्द्र तिवादी अ0सा03 ने मेमोरेण्डम प्र0पी04 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

15. नरेश पॉल अ0सा07 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 17.08.15 को वह महेश ढाकरे एवं आरक्षक महेन्द्र कुमार के साथ

आरोपी को साथ लेकर उसके घर गए थे तथा आरोपी पंकज के बताए अनुसार आरोपी के घर के सामने स्थित खाली प्लॉट से रजनी शर्मा का आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी08 उसके सामने बनाया गया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

16. आरक्षक सुरेन्द्र उपाध्याय अ0सा011 ने भी अपने कथन में प्रधान आरक्षक महेश ढाकरे अ0सा06 के कथन का समर्थन किया है एवं दिनांक 17.08.15 को आरोपी से पूछताछ कर प्र0पी06 का मेमोरेण्डम तैयार किए जाने बावत प्रकटीकरण किया है।

17. दिनेश कुशवाह अ0सा09 ने अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि पुलिस ने उसके सामने उसके पिता से कोई चीज जप्त नहीं की थी उक्त साक्षी ने मात्र जप्ती पंचनामा प्र0पी05 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने उसके पिता से आधार कार्ड वोटर कार्ड एवं नगरपालिका की रसीदें जप्त की थी।

18. साक्षी गंगाराम अ0सा010 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि पुलिस ने उसके सामने राजेन्द्र सिंह के मकान से मोबाइल की रसीदें जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी05 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

19. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन अपने परीक्षण के दौरान परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

20. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी राजेन्द्र सिंह कुशवाह अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन वह रात्रि में खाना खाकर अपने घर पर सो गया था रात्रि दो बजे के लगभग उसे छत पर चलने की आवाज आई थी तो वह जागकर छत पर गया था तो उसे आरोपी पंकज अपने मकान की तरफ भागता हुआ दिखा था फिर उसने अपने घर के अंदर देखा था तो उसे अपने घर के अंदर रखे हुए मोबाइल, वोटरकार्ड, आधार कार्ड, घड़ी इत्यादि नहीं मिले थे। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपी को घर में घुसते व चोरी करते हुए नहीं देखा था। इस प्रकार फरियादी राजेन्द्र सिंह कुशवाह अ0सा01 के कथनों से यह दर्शित है कि यद्यपि फरियादी राजेन्द्र सिंह कुशवाह ने आरोपी पंकज को घर में घुसते हुए एवं चोरी करते हुए नहीं देखा था परंतु

उक्त साक्षी ने आरोपी को अपने घर की छत से भागते हुए देखा था।

21. फरियादी राजेन्द्र सिंह कुशवाह अ0सा01 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि वह दिनांक 13.07.15 को सुबह नौ बजे रिपोर्ट करने गया था एवं दिनांक 13.07.15 को पुलिस नक्शामौका बनाने के लिए उसके घर पर आई थी परंतु प्र0पी01 की रिपोर्ट से यह दर्शित है कि फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट थाने पर दिनांक 12.07.15 को की गई है एवं प्र0पी02 के नक्शामौके से यह भी दर्शित है कि प्र0पी02 का नक्शामौका दिनांक 12.07.15 को ही बनाया गया है इस प्रकार उक्त बिंदु पर फरियादी राजेन्द्र सिंह कुशवाह अ0सा01 के कथन प्र0पी01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं प्र0पी02 के नक्शामौके से किंचित विरोधाभासी रहे हैं परंतु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक 11-12.07.15 की है एवं फरियादी राजेन्द्र सिंह कुशवाह अ0सा01 के कथन न्यायालय में दिनांक 30.11.15 को हुए हैं ऐसी स्थिति में समय का अंतराल होने के कारण फरियादी के कथनों में उक्त विसंगति आना स्वाभाविक है एवं उक्त विसंगति इतनी तात्त्विक भी नहीं है जिसके आधार पर संपूर्ण अभियोजन घटना को ही संदेहास्पद माना जाए।

22. जहां तक राजेश कुशवाह अ0सा04 रामस्वरूप अ0सा05 एवं रजनी अ0सा08 के कथन का प्रश्न है तो साक्षी राजेश अ0सा04 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि उसने घटना वाले दिन अपने मकान की छत पर पंकज उर्फ मिर्ची को भागते हुए देखा था। यद्यपि उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपी पंकज को चोरी करते हुए एवं चोरी का माल ले जाते हुए नहीं देखा था परंतु उक्त साक्षी के कथनों से यह तो दर्शित है कि उक्त साक्षी ने आरोपी पंकज को घटना वाले दिन अपने घर की छत से भागते हुए देखा था।

23. रामस्वरूप अ0सा05 ने भी अपने कथन में बताया है कि उसे उसके भाई राजेन्द्र ने यह बताया था कि पंकज उसकी छत से भागते हुए चला गया है। रजनी अ0सा08 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि उसके ससुर ने उसे यह बताया था कि छत पर पंकज आया था। इस प्रकार रामस्वरूप अ0सा05 एवं रजनी अ0सा08 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षीगण ने स्वयं आरोपी पंकज को छत पर नहीं देखा था एवं उन्हें यह बात फरियादी राजेन्द्र सिंह कुशवाह द्वारा बताई गई थी परंतु फरियादी राजेन्द्र सिंह कुशवाह अ0सा01 एवं राजेश अ0सा04 के कथनों से स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता है कि उनके द्वारा घटना दिनांक को आरोपी पंकज को अपने घर की छत पर भागते हुए देखा गया था।

24. जहां तक आरोपी द्वारा फरियादी राजेन्द्र सिंह कुशवाह के घर में मोबाइल, घड़ी, नगद रुपये, आधार कार्ड, वोटर कार्ड इत्यादि चोरी किए जाने का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि प्रधान आरक्षक महेश ढाकरे अ0सा06 ने अपने कथन में दिनांक 14.08.15 को आरोपी पंकज को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी03 बनाना बताया है तथा यह भी बताया है कि उसने उक्त दिनांक को ही आरोपी से पूछताछ कर प्र0पी04 का मेमोरेण्डम बनाया था। जहां तक प्र0पी04 के मेमोरेण्डम का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि प्र0पी04 के मेमोरेण्डम के अनुसार आरोपी से कोई जप्ती नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में प्र0पी04 के मेमोरेण्डम का कोई औचित्य नहीं है।

25. प्रधान आरक्षक महेश ढाकरे अ0सा06 ने अपने कथन में यह भी बताया है कि उसने दिनांक 17.08.15 को आरोपी पंकज से पुनः चोरी के संबंध में पूछताछ कर प्र0पी06 का मेमोरेण्डम बनाया था एवं आरोपी के बताए अनुसार उसने आरोपी के घर के सामने खंडहर से वोटर कार्ड, आधार कार्ड जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी08 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तुक्ष विसंगतियों को छोड़कर तात्त्विक विरोधाभाषों से परे रहा है। आरक्षक सुरेन्द्र उपाध्याय अ0सा011 जो कि मेमोरेण्डम प्र0पी06 का साक्षी है ने भी प्रधान आरक्षक महेश ढाकरे अ0सा06 के कथन का समर्थन किया है एवं आरोपी से उसके सामने पूछताछ करने तथा आरोपी द्वारा रजनी कुशवाह का वोटर कार्ड अपने घर के सामने खंडहर में पत्थर के नीचे छुपा देने बावत प्रकटीकरण किया है। आरक्षक नरेश पॉल अ0सा07 जो कि जप्ती पंचनामा प्र0पी08 का साक्षी है ने भी अपने कथन में आरोपी के बताए अनुसार उसके सामने आरोपी के घर के सामने स्थित खाली प्लॉट से रजनी शर्मा का आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड जप्त करना बताया है उक्त सभी साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण के कथन तुक्ष विसंगतियों को छोड़कर तात्त्विक विरोधाभाषों से परे रहा है।

26. प्र0पी06 के मेमोरेण्डम एवं प्र0पी08 के जप्ती पंचनामे के अवलोकन से यह दर्शित है कि प्र0पी06 के मेमोरेण्डम में आरोपी ने पूछताछ के दौरान रजनी कुशवाह का वोटर कार्ड एवं आधार कार्ड अपने घर के सामने खंडहर में छुपा देना बताया है तथा प्र0पी08 के जप्ती पंचनामे में आरोपी पंकज द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आरोपी के घर के सामने खंडहर से रजनी कुशवाह का आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड जप्त होने का उल्लेख है। इस प्रकार प्र0पी06 के मेमोरेण्डम के आधार पर आरोपी से प्र0पी08 के जप्ती पंचनामे के अनुसार वोटर

कार्ड एवं आधार कार्ड की जप्ती की गई है। जप्ती एवं मेमोरेण्डम के साक्षी आरक्षक नरेश पॉल अ0सा07 एवं आरक्षक सुरेन्द्र उपाध्याय अ0सा011 द्वारा भी अभियोजन घटना का पूर्णतः समर्थन किया गया है एवं आरोपी से चोरी के संबंध में पूछताछ करने तथा आरोपी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आरोपी से रजनी का आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड जप्त करने बावत प्रकटीकरण किया गया है। यद्यपि आरक्षक नरेश पॉल अ0सा07 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया गया है कि जिस स्थान से जप्ती की गई थी वह स्थान खुला हुआ था एवं वहां कोई भी व्यक्ति आसानी से आ-जा सकता था परंतु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपी ने प्र0पी06 के मेमोरेण्डम में अपने घर के सामने स्थित खंडहर में पत्थर के नीचे आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड छुपाकर रखना बताया था तथा जप्ती पंचनामा प्र0पी08 के अनुसार आरोपी से उसके मकान के सामने खंडहर में पत्थर के नीचे से वोटरकार्ड एवं आधार कार्ड जप्त किए गए हैं एवं खंडहर में पत्थर के नीचे जिस स्थान से आरोपी से आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड जप्त किए गए हैं वह खुला हुआ स्थान नहीं कहा जा सकता है। आरोपी द्वारा उक्त संबंध में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसे उक्त स्थान पर वोटर कार्ड एवं आधार कार्ड होने की जानकारी किस प्रकार प्राप्त हुई थी ऐसी स्थिति में मात्र उक्त आधार पर अभियोजन घटना के विपरीत कोई उपधारणा नहीं की जा सकती है।

27. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि आरोपी से घड़ी, मोबाइल इत्यादि की जप्ती नहीं हुई है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। आरोपी पंकज से प्र0पी-8 के जप्ती पंचनामे के अनुसार रजनी के आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड की जप्ती हुई है। आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड मूल्यवान् प्रतिभूति हैं जो कि आरोपी के आधिपत्य से जप्त हुए हैं। ऐसी स्थिति में उक्त तर्क से भी आरोपी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

28. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि फरियादी द्वारा रंजिशन आरोपी को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है परन्तु बचाव पक्ष की ओर से उक्त लिए गए बचाव के संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है ना ही उक्त संबंध में कोई सुझाव फरियादी राजेन्द्रसिंह को प्रतिपरीक्षण के दौरान दिया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त तर्क से भी आरोपी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

29. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि प्रकरण में मेमोरेण्डम प्र0पी-6 एवं जप्ती पंचनामा

प्र०पी-8 में किसी स्वतंत्र साक्षी को गवाह नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में जप्ती की कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है। परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है। विधि में ऐसा कोई नियम नहीं है कि स्वतंत्र साक्षी की पुष्टि के बिना पुलिस कर्मचारीगण की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी राजेन्द्रसिंह द्वारा प्र०पी-1 की रिपोर्ट आरोपी के विरुद्ध की गयी है एवं फरियादी राजेन्द्रसिंह अ०सा०1 तथा राजेश अ०सा०4 ने अपने कथन में आरोपी को घटना दिनांक को छत से भागते हुए देखना बताया है। प्रकरण में आरोपी से वोटर कार्ड एवं आधार कार्ड जप्त होना भी प्रमाणित है। आरोपी द्वारा उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। आरोपी द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि रजनी शर्मा के वोटर कार्ड एवं आधार कार्ड आरोपी के आधिपत्य में किस प्रकार आये। आरोपी द्वारा उक्त संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के खण्ड एक की उपधारणा आरोपी के संबंध में लागू होती है। उक्त उपधारणा के अनुसार "चुराये हुए माल पर जिस मनुष्य का चोरी के शीघ्र उपरांत कब्जा है जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण न बता सके या तो वह चोर है या उसने माल को चुराया हुआ जानते हुए प्राप्त किया है।"

30. प्रस्तुत प्रकरण में आरोपी से रजनी शर्मा के आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड जप्त होना प्रमाणित है। आरोपी द्वारा आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड उसके कब्जे में होने का कोई कारण नहीं बताया गया है। ऐसी स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के खण्ड एक की उपधारणा आरोपी के विरुद्ध लागू होती है एवं यही उपधारणा की जाती है कि आरोपी ने आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड फरियादी राजेन्द्रसिंह के निवासगृह से घटना दिनांक को चोरी किए थे।

31. इस प्रकार उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से संदेह से परे यह प्रमाणित होता है कि आरोपी ने घटना दिनांक को फरियादी राजेन्द्र सिंह के आधिपत्य से वोटर कार्ड एवं आधार कार्ड की चोरी की थी। जहां तक आरोपी द्वारा रात्रिप्रच्छन्न गृहअतिचार कारित करने का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी ने फरियादी राजेन्द्रसिंह के निवासगृह में रात्रि के समय घुसकर वोटर कार्ड एवं आधार कार्ड की चोरी की थी। आरोपी से वोटर कार्ड एवं आधार कार्ड की जप्ती प्रमाणित है। फरियादी राजेन्द्रसिंह अ०सा०1 एवं राजेश अ०सा०4 के कथनों से यह भी प्रमाणित है कि उन्होंने घटना दिनांक को आरोपी को अपने घर की छत से भागते हुए देखा था ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित पाया जाता है कि आरोपी ने घटना दिनांक को फरियादी राजेन्द्रसिंह कुशवाह

के निवासगृह में सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रोप्रच्छन्न गृहअतिचार कारित किया।

32. फलतः उपरोक्त चरणों में की गयी विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 11-12.07.15 की दरमियानी रात्रि वार्ड नं० 10 बड़ा बाजार गोहद में फरियादी राजेन्द्र कुशवाह के निवासगृह में सूर्योदय के पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रोप्रच्छन्न गृहअतिचार कारित किया एवं उसी समय फरियादी राजेन्द्रसिंह कुशवाह के निवासगृह से उसके आधिपत्य से मोबाइल, घड़ी, वोटर कार्ड एवं आधार कार्ड उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी पंकज शर्मा उर्फ मिर्ची को भा०द०स० की धारा 457, एवं 380 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध करती है।

33. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थाई रूप से स्थगित किया गया।

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

पुनश्च:-

34. आरोपी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है। आरोपी ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है। अतः आरोपी को कम से कम दण्ड से दण्डित किया जावे।

35. आरोपी अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है आरोपी द्वारा नियमित रूप से विचारण का सामना किया गया है परन्तु आरोपी द्वारा फरियादी राजेन्द्र कुशवाह के निवास गृह पर चोरी की गई है ऐसी स्थिति में आरोपी को शिक्षाप्रद दण्ड से दण्डित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। फलतः यह न्यायालय आरोपी पंकज शर्मा उर्फ मिर्ची को भा०द०स० की धारा 457 के अंतर्गत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि में व्यतिक्रम होने पर एक माह के अतिरिक्त सश्रम

कारावास एवं भा0द0स0 की धारा 380 के अंतर्गत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि में व्यतिक्रम होने पर एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दंड से दंडित करती है।

36. कारावास की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

37. आरोपी पूर्व से जमानत पर है। उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

38. प्रकरण में जप्तशुदा रजनी कुशवाह के वोटर कार्ड, आधार कार्ड अपील अवधि पश्चात फरियादी को वापिस किए जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

39. आरोपी जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहा है उसके संबंध में धारा 428 के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपी द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उनकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपी इस प्रकरण में दिनांक 12.08.15 से दिनांक 19.02.16 तक न्यायिक निरोध में रहा है।

तदनुसार सजा वारण्ट बनाया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 30.08.2017

निर्णय आज दिनांकित एवं

हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया।

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही / -

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)